OUR PUBLICATIONS

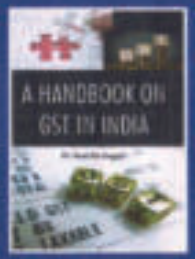

Globus Press

448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 13 अंक 2 मार्च-अप्रैल 2021

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

17

छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रशासनिक अध्ययन

डॉ० श्रीमती रीना मजूमदार

(शोध-निर्देशक) प्राचार्य, मोहन लाल जैन शासकीय महाविद्यालय, खुर्सीपार भिलाई (छ.ग.)

डॉ० प्रमोद यादव

(सह-शोध निर्देशक) विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग एस.आर.सी.एस, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

बिसनाथ कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, एस.आर.सी.एस., कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

सार:- छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर जनसाधारण विशेषत: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती हैं। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर संचालन के लिए वर्ष, 2007 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ एवं जनवरी, 2008 से कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा खाद्यान सामग्री का आवंटन जारी किया जा रहा है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधि नियम 2012 लाया गया। राज्य के सभी लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 को सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया है। जिस तरह से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बेहतर संचालन एवं निगरानी की व्यवस्था हुई उससे छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा पूरे देश में है। राज्य में अक्टूबर, 2019 की स्थिति में 6 प्रकार के राशनकार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों में प्रचलित है। जिसमें, प्राथमिकता, अंत्योदय, निःशक्तजन, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा कार्ड हैं। राज्य में 1 जनवरी, 2021 की स्थिति में राशनकार्डों की कुल संख्या 67,24,916 हैं।

महत्वपूर्ण शब्द:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राशन कार्ड, हितग्राही, उचित मूल्य दुकान,

विषय-प्रवेश:- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक के दौरान हरित क्रांति के बाद राशन प्रणाली में घरेलू उत्पादन का हिस्सा बढ़ाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विधिवत् शुरूआत हो सकी। भारत सरकार द्वारा गरीब, असहाय, जरूरतमंद परिवारों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मुहैया कराने के उद्देश्य से 01.06.1997 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत ही कम कीमतों पर समाज के जरूरत मंद वर्गों को अनाज का वितरण और गैर खाद्य वस्तुएं मसलन गेहूँ, चीनी, चावल, केरोसिन आदि मुहैया कराने के लिए लायी गई एक सरकार प्रयोजित प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य-सुरक्षा व्यवस्था हैं। भारत में उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं वितरित करता है। चावल, गेहूँ, चीनी जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों अर्थात उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पूरे देश में जरूरत मंद लोगों तक पहुँचाया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो यह राज्य एक बेहतर संचालन एवं व्यवस्था के लिए पूरे भारत में चर्चित है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विनियमित करने की जिम्मेदारी साझा की हैं। केन्द्रीय सरकार खरीद, भंडारण, परिवहन और अनाज के थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार हैं जबकि राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं तक इसके वितरण की जिम्मेदारी हैं। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन, राशन सामग्री के समयबद्ध उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों में उपलब्धता बनाये रखने के साथ-साथ सम्पूर्ण वितरण व्यवस्था की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 23 दिसंबर, 2004 से पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
Durg (C.G.)

RNI No. DELHI/2011/38257

हंस प्रकाशनः 2021 में प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकें

समसामयिक सृजन

अक्टूबर-दिसंबर 2021

यूजीसी केयर लिस्ट मे शामिल
अक्टूबर–दिसंबर 2021
वर्ष 11, अंक–23

मूल्य–100/-
ISSN NO. 2320-5733

समसामयिक सृजन

समकालीन साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति का संगम

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

18

छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में अनुसूचित जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विश्लेषण

नितेश कुमार साँहू /डॉ. प्रमोद कुमार यादव

अनुसूचित जाति शब्द दो शब्दो के योग से बना है। अनुसूचित एवं जाति, जहाँ अनुसूचित का अर्थ है सूचियों और जाति शब्द का अर्थ है एक ही परिवार कुल वंश में उत्पन्न जनसमुदाय। इस प्रकार अनुसूचित जाति का अर्थकिसी सूची में सम्मिलित जातियों के समुह से है। समाज का एक तबका आज भी हाशिए पर है जो सदियो से अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना है कि "राजनीति सत्ता की वह मास्टर चाबी है, जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते है"। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति कि कुल जनसंख्या 32,74,269 जो राज्य के 12.82 प्रतिशत आबादी है। छत्तीसगढ़ का 28वाँ जिला मुर्गेली अनुसूचित जाति की बहुलता वाला जिला है जिसमें अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या राज्य के अनुसूचित जातियों के अनुपात में 27.76 प्रतिशत है। जिले के बहुसंख्यक आबादी होने के कारण अनुसूचित जाति का राजनीतिक रूप से मजबूत होना लाजिमी है।

महत्वपूर्ण शब्द :– अनुसूचित जाति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, मुंगेली

प्रस्तावना

अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहले 'साइमन कमीशन' के द्वारा 1927 मे किया गया। इससे पुर्व अंग्रेजी शासनकाल में अनुसूचित जातियों के लिये सामान्यतः दलित शब्द का प्रयोग किया जाता था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने इन्हें हरिजन (ईश्वर की संतान) की संज्ञा दी। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही अनुसूचित जातियो के प्रति छुआ–छुत की भावना का वास रहा है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को सही मायनों में अनुसूचित जातियों का मसीहा कहा जाता है, जिनके प्रयासों से छुआ–छुत की भावना को अपराध माना गया एवं इसे भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया। वर्तमान समय में संसद, राज्य विधानसभा तथा शासकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिये विशेष प्रावधानों होना संविधानसम्मत है।

संविधान निर्माण से पुर्व अनुसूचित जाति के विकास हेतु कई प्रयास किये गए जिसका उदाहरण हमें कम्यूनल अवार्ड से लेकर पूना पैक्ट तक दिखता है। आजादी के उपरांत संविधान सम्मत होने के कारण से अनुसूचित जाति ना सिर्फ समाजिक बल्कि राजनीति रूप से भी जागृत हुए है। यद्धपि प्राचीन समय से समाजिक परित्यक्ता का दंश झेल रहा यह समुदाय अपने सर्वांगिक विकास के लिए संघर्षशील रहा तथापि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति का सर्वांगिक विकास शिक्षा, समाजिक समरसता एवं शासकीय नीतियों के द्वारा संभव हो रहा है।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में अनुसूचित जाति वर्ग का महत्वपूर्ण भूमिका है सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति कि कुल जनसंख्या 32,74,269 जो राज्य के 12.82 प्रतिशत आबादी है। जिसमें पुरूष अनुसूचित जाति कि जनसंख्या 16,41,738 एवं महिला अनुसूचित जाति कि जनसंख्या 16,32,531 है। इस जनसंख्या के अनुपात में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनीति की प्रतिनिधित्व करती है। जहां लोकसभा मे दो सीट आरक्षित है एवं दस सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जिसमें मुंगेली जिले मे अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,94,770 है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जातियों के अनुपात में 27.76 प्रतिशत सर्वाधिक है। मुंगेली जिले ने देश एवं राज्य को अनुसूचित जाति वर्ग से अनेक नेतृत्व कर्ता प्रदान किये है। जिसमें प्रमुख रूप से रेशम लाल जांगडे, खेलन राम जांगडे, पुन्नु लाल मोहले इत्यादि है मुंगेली जिला में दो विधानसभाए है जो क्रमशः क्षेत्र क्र. 26 (लोरमी) जो सामान्य सीट है एवं क्षेत्र क्र. 27 मुंगेली। जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है जहाँ पुन्नु लाल मोहले विधायक हैं ।

अनुसूचित जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पृष्ठभूमि

सन् 1909 में मार्ले–मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के आधार पर विधान मंडल में नेतृत्व दिया गया था। इसी तरह दलित आंदोलन को ध्यान में रखकर सन् 1911 की जनगणना में दलित जातियों की जनसंख्या को जानने के लिए प्रथम बार प्रमाणित प्रयास किया गया। जिसमें भारतीय जनसंख्या का 1/7 भाग दलित वर्ग का था। इसके पहले दलित वर्ग की जनसंख्या एवं उनकी राजनैतिक क्षमता का अनुमान नहीं लगाया गया था। मांटेग्यू घोषणा द्वारा अगस्त 1917 में ब्रिटिश शासन ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया था। इस परिवर्तित परिस्थितियों से दलित जन मानस की राजनैतिक सोच में परिवर्तन हुआ और राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रयास करने लगे। भारत में प्रांतीय विधानसभा की स्थापना के साथ ही देश के पश्चिम और दक्षिण हिस्सों के दलितों ने पहली बार ब्रिटिश सरकार से लेजिसलेटिव असेम्बली में नेतृत्व की मांग की जिसके आधार पर 1921 के प्रथम प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचन में अनुसूचित जाति को राजनीतिक नेतृत्व करने का मौका मिला।

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

2021-22

समसामयिक सृजन

साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का संगम

संरक्षक
डॉ. प्रभात कुमार

प्रधान संपादक
प्रो. रमा

संपादक
डॉ. महेन्द्र प्रजापति

संपादन सहयोग
रीमा प्रजापति

ले-आउट
स्कोप सर्विसेज, दरियागंज, नई दिल्ली

संपादकीय कार्यालय
मकान नं. 189, ब्लॉक-एच
विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

पत्राचार
एफ-114, तृतीय तल, SLF वेद विहार,
नियर: शंकर विहार ऑटो स्टैंड, लोनी
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102

सदस्यता
आजीवन : 5000/-रुपए
संपर्क : 9871907081
वेबसाइट : www.samsamyiksrijan.com
E-mail : samsamyik.srijan@gmail.com

प्रकाशक एवं मुद्रण
हरिन्द्र तिवारी
हंस प्रकाशन, दिल्ली
मो. : 7217610640, 9868561340
ईमेल : hansprakshan88@gmail.com
वेबसाइट : www.hansprakashan.com

विभाजन की त्रासदी और मंटो *विजय पालीवाल*	7
प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) का विश्लेषणात्मक अध्ययन *डॉ. अजीत कुमार बोहत*	11
स्त्री अस्मिता संघर्ष और राजकमल चौधरी का हिंदी कथा साहित्य *अजीत सिंह*	15
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इतिहास-दृष्टि *डॉ. अमित सिन्हा*	18
मध्यवर्गीय जीवन और चन्द्रकिरण सौनरेक्सा का कहानी संग्रह 'आधा कमरा' *अनिता देवी*	20
छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में जल संसाधन की भूमिका *डॉ. श्रीमती अनीता मेश्राम*	23
राहुल सांकृत्यायन का यात्रावृत्त साहित्य में वर्णित धार्मिक पक्ष *अरुण माथीवाल*	27
सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के पक्षधर : सुब्रह्मण्य भारतीय *डॉ. के. बालराजू*	30
नेतृत्व और सम्प्रेषण का यथार्थ *डॉ. कुमार भास्कर*	34
नयी कविता और कुँवर नारायण *भावना*	37
आधुनिक दिल्ली हिंदी रंगमंच का स्वरूप *डॉ. धर्मेंद्र प्रताप सिंह*	40
स्त्री अस्मिता का मिथक *गजेन्द्र पाठक*	43
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत-नेपाल संबंध *डॉ. गौरव कुमार शर्मा*	45
रत्नकुमार सांभरिया की कहानियों में दलित का सामाजिक-बोध *गौतम कुमार खटीक*	47
भारत में राजनीतिक विकास एवं संविधान संशोधन : एक विश्लेषण *गोविन्द नैनीवाल*	50

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक तथा स्वत्वधिकारी : *डॉ. महेन्द्र प्रजापति द्वारा एच-ब्लॉक, मकान नं. 189, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 से प्रकाशित*

Principal

19

निबलेट की डायरी:अंग्रेजी प्रशासक की दृष्टि में भारत छोड़ो आन्दोलन 361
डॉ. कुलभूषण मौर्य

देशज आधुनिकता बोध के कवि त्रिलोचन 364
माधवम सिंह

'देहान्तर' नाटक की मूल संवेदना 367
ममता यादव

अस्तित्व को तलाशती शिवमूर्ति की कहानी 'कुच्ची का कानून' 369
मनीष कुमार

मेहरून्निसा परवेज की कहानियों में नारी अस्मिता की खोज 371
नगीना मेहरा

आदिवासी साहित्य में राजनैतिक चेतना के स्वर 373
निर्मला मीना/डॉ. अशोक कुमार मीना

नारी का अन्त: संघर्ष और महादेवी वर्मा 375
पूनम शर्मा/डॉ. अरूण बाला

बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के विभिन्न आयाम का एक अध्ययन 377
प्रो. (डॉ.) महबूब आलम

इक्कीसवीं सदी की हिंदी कविता के काव्य-प्रतिमान 380
प्रो. रसाल सिंह/प्रभाकर कुमार

भारत में न्यायिक सक्रियता एवं जनहितवाद के वर्तमान स्वरूप की विवेचना 383
डॉ. राजेश कुमार शर्मा/डॉ. संगीता शर्मा

उपलब्ध प्रारूपों से परे सामाजिक सिद्धांत: एक विमर्श 386
संदीप कुमार

राष्ट्रोन्नयन की वैदिक संकल्पना 389
संगीता अग्रवाल

औद्योगीकरण के दुष्प्रभाव और आदिवासी केन्द्रित हिन्दी उपन्यास 391
डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय

19 वीं सदी का आंदोलन और हिन्दी कहानी 394
डॉ. सविता अहेरिया

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में स्त्री-विमर्श 396
डॉ. उमेश चन्द्र

'वैश्वीकरण और मीडिया' 399
सोनू रजक

प्रेमचन्द की कहानियों में हाशिए का समाज : स्त्री संदर्भ 402
सुनीता जाट

ऋतुराज के काव्य में युवा मानसिकता का सामाजिक संदर्भ 404
सुरेश कुमार वर्मा

नीति-निर्माण एंव नीति को क्रियान्वयन करने में नौकरशाही की भूमिका एक समीक्षा 406
सूर्य प्रकाश/प्रो. (डॉ. विनय सोरेन)

भक्ति साहित्य के अन्य प्रश्न और देवीशंकर अवस्थी 409
विजय कुमार गुप्ता

भारत की आजादी में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित संपादकीय का अध्ययन 412
बिमलेश कुमार

प्रेमचंद का दलित दस्तक 414
डॉ. जियाउर रहमान जाफरी

आयुर्वेद शिक्षण व्यवस्था:औपनिवेशिक संयुक्त प्रांत निवेशिक संयुक्त प्रांत (1900ई.-1941ई.) 416
पूजा/डॉ. सतीश चंद्र सिंह

छत्तीसगढ़ राज्य में कोर-पीडीएस के प्रभाव का एक प्रशासनिक अध्ययन (धमतरी जिले के विशेष संदर्भ में) 419
डॉ. श्रीमती रीना मजूमदार/डॉ. प्रमोद यादव/बिसनाथ कुमार

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

छत्तीसगढ़ राज्य में कोर-पीडीएस के प्रभाव का एक प्रशासनिक अध्ययन

(धमतरी जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. श्रीमती रीना मजूमदार / डॉ. प्रमोद यादव / बिसनाथ कुमार

प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में कोर–पीडीएस के प्रभाव का प्रशासनिक अध्ययन का विश्लेषण किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक जनोन्मुखी एवं पारदर्शिता बनाये रखने के लिए कई कदम उठाये हैं । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोर–पीडीएस एक अच्छी व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है । प्रदेश सरकार बीपीएल कार्डधारियों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराकर पूरे देश में बेहतर पीडीएस योजना के संचालन के लिए जाने जाती है । अब इसके बेहतर संचालन में एक और कड़ी जुड़ गई है जिसे "कोर–पीडीएस मेरी मर्जी" योजना नाम दिया गया है । कोर–पीडीएस व्यवस्था के तहत अब राशन कार्डधारी अपनी नजदीक की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन का उठाव अपनी मर्जी से कर सकता है। सामान्य तौर पर यह देखा जा रहा था कि राशन दुकान बंद होने या किसी और परेशानी खड़ी होने से राशन दुकान के हितग्राही राशन लेने के लिए काफी मशक्कत करते थे वहीं लम्बी लाईन में लगकर भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में प्रदेश सरकार ने "मेरी मर्जी मेरा पीडीएस" योजना शुरू कर राशनकार्डधारियों को राहत देने की पहल शुरू की है।

महत्वपूर्ण शब्द–कोर–पीडीएस, राशन कार्ड,हितग्राही,उचित मूल्य दुकान, खाद्यान्न सामग्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आबंटन, उठाव, मूल दुकान

प्रस्तावना –छत्तीसगढ़ में यह योजना शहरी क्षेत्रों में मार्च, 2012 से लागू किया गया है जिसमें अगस्त, 2021 तक जिले के 42 कोर–पीडीएस की दुकाने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन संचालित हैं। इन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में जिले के 34,258 राशन कार्डधारी लाभान्वित हो रहे हैं । छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन पूरे राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में किये जाने की तैयारी है । अब इस व्यवस्था से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होकर रहने गये हितग्राहियों को अपने मूल पीडीएस दुकान पर जाकर राशन लेने की जरूरत नहीं है बल्कि वह हितग्राही अपनी पसंद के किसी भी पीडीएस दुकान से अपना राशन खरीद सकता है । कोर–पीडीएस योजना लागू होने के पूर्व हितग्राही किसी एक उचित मूल्य दुकान से संलग्न था तथा हितग्राही उसी उचित मूल्य दुकान से ही राशन सामग्री लेने हेतु बाध्य था इस कारण हितग्राही को पात्रतानुसार राशन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अन्य कोई विकल्प नहीं था । उचित मूल्य दुकान संचालक को दुकान से संलग्न हितग्राहियों को खोने का भय नहीं रहता था जिससे दुकान संचालक अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता नहीं समझता था । पूर्व प्रक्रिया में उचित मूल्य दुकान को संलग्न राशनकार्ड अनुसार प्रत्येक माह मासिक आबंटन दिया जाता था और दुकान संचालक द्वारा संलग्न राशनकार्डों पर राशन सामग्री वितरण की जाती थी इससे लाभार्थीयों को एक ही उचित मूल्य दुकान पर आश्रित रहना पड़ता था । कोर– पीडीएस की दुकानों में हितग्राही के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हेतु उसके पास कोई आवश्यक साधन नहीं होने के बावजूद भी उस हितग्राही को अपनी मूल दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की व्यवस्था यथावत उपलब्ध रहेगी। अन्य उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा केवल उन हितग्राहियों के लिए होगी जिनके पहचान का प्रमाणीकरण अन्य उचित मूल्य दुकानों पर किया जा सकेगा।

शोध अध्ययन का उद्देश्य–प्रस्तुत शोध के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए है।

1 कोर–पीडीएस व्यवस्था से हितग्राही संतुष्ट हो रहे है अथवा नहीं, यह ज्ञात करना।

2 कोर–पीडीएसकी तकनीकी दृष्टि से आंकलन किया जाना है।

3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोर–पीडीएस एक बेहतर विकल्प है, यह ज्ञात करना।

प्रस्तावित शोध की परिकल्पना– प्रस्तुत शोध के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित किए गए है।

1. कोर–पीडीएस व्यवस्था से हितग्राही संतुष्ट हो रहे है ।
2. कोर–पीडीएस मेंतकनीकी दृष्टि से समस्या है।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोर–पीडीएसव्यवस्था एक बेहतर ढ़ग से कार्य कर रहा है।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय –छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में स्थित राज्य के जीवन–रेखा कहलाने वाली महानदी का उद्गम स्थल धमतरी जिला अविभाजित मध्यप्रदेश के रायपुर जिले के पुनर्गठन के फलस्वरूप 6 जुलाई, 1998 को अस्तित्व में आया। धमतरी जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4081.93 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 2125.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनाच्छादित है। यह जिला राज्य के 6 जिलों दुर्ग, बालोद, रायपुर, कोण्डागॉव, कांकेर एवं गरियाबंद तथा ओडिसा राज्य की सीमा से लगा है। भौगोलिक दष्टि से यह जिला धमतरी–महासमुंद के उच्च भूमि क्षेत्र में विस्तृत है। जिले की भौगोलिकस्थिति 20°2' से 21°1' उत्तरी अक्षांश एवं 81°23' से 82°10'पूर्वी देशांतर के मध्य है। धमतरी

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

Vol. 9 No. 3

Chief Editor
Dr. M. Sadik Batcha

Advisory Editor
Dr. N. Chandra Segaran

Editorial Board
Dr. MAM. Rameez
Dr. Jeyaraman
Dr. A. Ekambaram
Dr. G. Stephen
Dr. S. Chitra
Dr. S. Senthamizh Pavai
Dr. Aranga. Pari
Dr. A. Shunmugham Pillai
Dr. P. Jeyakrishnan
Dr. S. Easwaran
Dr. Kumara Selva
Dr. A. Palanisamy
Dr. Ganesan Ambedkar
Dr. Kumar
Dr. S. Kalpana
Dr. T. Vishnukumaran
Dr. M. N. Rajesh
Dr. M. Ramakrishnan
Dr. Govindaraj
Dr. Uma Devi
Dr. Senthil Prakash
Dr. M. Arunachalam
Dr. S. Vignesh Ananth
Dr. Pon. Kathiresan
Dr. S. Bharathi Prakash

20

ஆனி-புரட்டாசி 2052
July - September 2021

ISSN : 2321-984X

நவீனத் தமிழாய்வு

(பன்னாட்டுப் பன்முகத் தமிழ் காலாண்டு ஆய்விதழ்)

Journal of

Modern Thamizh Research

(A Quarterly International Multilateral Thamizh Journal)

Arts and Humanities (all), Language
Literature and Literary Theory, Tamil
UGC Care Listed (Group-I) Journal

Published by
RAJA PUBLICATIONS
No. 10 (Upstair), Ibrahim Nagar, Khajamalai,
Tiruchirappalli - 620 023, Tamil Nadu, India.
Mobile : 9600535241
Website : www.rajapublications.com

29 பகுதி-8
Part -8

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

THE GROUND-LEVEL CHALLENGES OF POLLING PARTIES IN ELECTIONS

KAMAL NARAYAN
Assistant Professor (Political Science), Hidayatullah National Law University, Nava Raipur, Chhattisgarh - 492001, India.

Dr PRAMOD KUMAR YADAV
Assistant Professor (Political Science), Seth Ratan Chand Surana Arts & Commerce College, Durg, Chhattisgarh - 491001, India.

Abstract

Since the elections have started in independent India, many reforms related to elections have been done till now. If we talk about electoral reforms, Voter I.D. Card started. The Voting age in India was reduced from 21 to 18 years, Electronic voting machines being used in elections. The traditions of submitting people's licensed weapons at the nearest police station were started so that peaceful elections could be held. The Election commission banned the sale of liquor on the day of polling. Arrangements were also made to ensure that money is not spent superfluously on election campaign. In order to make the election transparent, the election commission has issued an order that every contesting candidate should fill his election nomination form, along with the affidavit detailing total liabilities of one's spouse and dependents, details of education and qualifications and any criminal background, if any, and details of criminal cases filed against one. And arrangements were made to have the voter list with the photograph. All these reforms have been done by the Election Commission till now. Polling Party plays a pivotal role in conducting elections. The job of the polling party is to conduct elections. When the polling party performs its duties, it has to face many difficulties and challenges. The present paper discusses the challenges of polling party at the ground level and will try to suggest some remedies.

Keywords: Ground-level, Challenges, Elections, India

Introduction

The present paper entitled "The Ground -level Challenges of Polling parties in Elections" is a humble academic attempt to highlight the ordeal of the polling parties before, during and after the polling. At the beginning of this paper, it is germane to express the collective of the polling parties experience regarding the government job, the experience tells that in government job, the employees work with the sincerity in only two conditions: - either when the government employee loves his work or when he is doing election duty, because the employee knows that if he does any carelessness here, he will have to pay the price either by suspension or by dismissal. The entire staff puts their full strength for the successful and near smooth conduct of the election. And that is now till date in Independent India have been held on the strength of government employees. There is also a flipside which are being rectified continuously.

Ever Chhattisgarh since the elections have been started in independent India, many reforms related to elections have been done till now. If we

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

UGC-CARE GROUP I LISTED
ISSN 0976-1195
वर्ष 13 अंक 2 मार्च-अप्रैल 2021

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

21

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के विकास की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन

डॉ० (श्रीमती) रीना मजूमदार

प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार, भिलाई (छ.ग.)

डॉ० प्रमोद यादव

सह-निर्देशक, सहायक प्राध्यापक,एस.आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

फैसल कुरैशी

शोधार्थी, एस.आर.सी.एस.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

प्रस्तावना

भारत में स्वातंत्र्योत्तर काल में नगर नियोजन के महत्व को अनुभव किया गया। शहरी भूमि पर औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों की भारी मांग को ध्यान में रखकर विभिन्न कार्यों हेतु भूमि के वितरण को प्रभावित करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों की जरूरत रेखांकित की गयी। भविष्यकालीन यातायात सघनता को दृष्टिगत रखते हुए चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। इमारतों की ऊंचाई को सड़कों की चौड़ाई के अनुसार निर्धारित किया गया ताकि मानवीय परिवेश को एक कलात्मक पहलू उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त निर्माणशील एवं खुले स्थानों के मध्य एक उचित संतुलन पर भी बल दिया गया।

एक नगर नियोजन प्राधिकरण द्वारा नगरों के भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाती है तथा विशिष्ट भूमि उपयोग हेतु विभिन्न क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। इन योजनाओं में पर्याप्त सड़क चौड़ाई, खुले स्थान तथा मूलभूत सुविधाओं (जल, विद्युत, स्कूल, अस्पताल इत्यादि) से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं।

मूल शब्द-नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के विकास की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन

विकास की विभिन्न योजना

प्रदेश के सर्वांगीण विकास की अवधारणा के तहत रायपुर जिले के विकास के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप विकास कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये प्राधिकरण का गठन किया गया। अटल नगर विकास प्राधिकरण पहले नींव रखी है। शहर प्लान की स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम से अटल नगर स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था के अलावा बीआरटीएस, यह व्यापक वनीकरण का भी समर्थन करता है। भारतीय प्रथाओं के अनुरूप आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी विकास के साथ एक स्वच्छ आवासीय केंद्र है जो अटल नगर का लक्ष्य है। यह उपमहाद्वीप के हर आगामी एकीकृत शहर के लिए एक आदर्श मॉडल होने का अनुमान लगाता है।

अटल नगर विकास प्राधिकरण मूल रूप से कैपिटल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएडीए) के रूप में जाना जाता है, 1 नवंबर 2000 को, जब एएनवीपी का स्वप्न प्रोजेक्ट-अटल नगर को आने वाले महानगरीय शहर के रूप में प्रमुखता मिली। 250 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले, अटल नगर विकास प्राधिकरण ने भारत के इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के प्रकृति के अनुकूल निर्माण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक दृष्टिकोण से गले लगा लिया है।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित विकास योजना बनायी गयी है। ये निम्न है.

अटल नगर में स्मार्ट लाइटिंग

विकास दल के कुशल अभियंता भारत के पहले एकीकृत स्मार्ट शहर होने के अपने खिताब के लिए न्याय कर रहे एक स्मार्ट प्रकाश दृष्टिकोण के साथ आए। अटल नगर में एलईडी लाइटिंग तैनात करके, सरकार प्रति माह बिजली के काफी वाटों को बचाने में सक्षम होगी।

अटल नगर में भूमि पुनर्वास

अटल नगर के विकास मानकों के भीतर कुल 41 गांवों को विलय कर दिया गया। हालांकि, पुनः आवंटन के बजाय, सरकार ने इन क्षेत्रों को मूल योजना के भीतर शामिल करना चुना। इसके अलावा, एएनवीपी ने आपसी सहमति पर भूमि अधिग्रहण और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया है

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

International Journal of Social Science & Management Studies - I.J.S.S.M.S.
Peer Reviewed-Refereed Research Journal, Indexing & Impact Factor - 5.2, Ex - UGC S.N. 5351
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 7, No. - 5, June - 2021, Conference Special Issues

2021

राजनांदगांव की गंदी बस्तियों के जनजीवन पर कोविड–19 का प्रभाव

दुलेश्वरी
(शोधार्थी), सेठ आर. सी. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
डॉ. अंजना ठाकुर
(शोध निर्देशक), विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान शास. दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)
डॉ. प्रमोद यादव
(सह शोध निर्देशक), विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग सेठ आर. सी. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

शोध सारांश :– "प्रस्तुत शोध पत्र गंदी बस्तियों के जनजीवन पर समाजिक रूप में उत्पन्न महामारी कोविड 19 के प्रभाव से संबंधित है। वर्तमान समय में समस्त विश्व इस महामारी से जूझ रहा है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका व्यापक व प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोविड 19 महामारी का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इस महामारी के रोकथाम हेतु शासन द्वारा विभिन्न व्यवस्था कि गई जिसमें समाजिक दूरी व लॉकडाउन प्रमुख रूप से लोगों को कई प्रकार की असुविधा हुई एवं नई समस्याएं सामने आयी। प्रमुख रूप में गंदी बस्तियों में इसका प्रभाव देखा गया चूंकि पूर्व में ही इस क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह अभाव चरम पर है। शोध अध्ययन से ज्ञात है कि गंदी बस्तियों के जनजीवन पर कोविड 19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिससे उन लोगों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।"

की वर्ड :– गन्दी बस्ती, राजनांदगांव जिला, कोविड 19 का प्रभाव

प्रस्तावना :– वैश्विक महामारी के इस दौर में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक परिवर्तन आया है चाहे वह नकारात्मक रूप में हो या फिर सकारात्मक रूप में। इस महामारी का नाम कोविड–19 है जिसका कारण कोरोना नामक वायरस है। यह किन कारणों से, कहाँ से उत्पन्न हुआ इसमें विरोधाभास कि स्थिति है फिर भी विभिन्न विद्वानों का मत है कि यह चीन के वुहान नामक नगर के एक वैज्ञानिक लैब से उत्पन्न हुआ है। जिस कारण से भी यह उत्पन्न हुआ हो इसके परिणामस्वरूप वैश्विक अवस्था में मानव–जीवन के समक्ष एक चुनौती आकस्मिक रूप में आया है विभिन्न देशों में इस बीमारी महामारी के बचाव हेतु जो उपाय अपनाए गए उन सब में एक समानता रही अभी सामाजिक दूरी, लॉकडाउन इस प्रकार व्यवस्था के प्रयोग में सभी देशों में अपनाया गया एक और जहाँ यह महामारी के बचाव का उपाय था वहीं इस व्यवस्था से सामान्य जन के सामने नयी समस्या पैदा हो गयी। भारत जैसे विकासशील जनसंख्या बहुल्य, उच्च समाजिक सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण लोगों के लिए यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण समस्या है।

यहाँ कि अधिकांश आबादी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। जो निर्धन वर्ग के लोगों को इस महामारी जीवन संकट उत्पन्न कर दिया। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक, समस्या इस कोविड 19 महामारी से अस्तित्व में आयी।

शोध का अध्यन क्षेत्र :– प्रस्तावित शोध का अध्ययन क्षेत्र राजनांदगांव जिले के नगरीय निकाय है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1973 में दुर्ग जिले से पृथक होकर हुई। इसके पूर्व यहा गोंड व महंत राजाओं का राज था। इस रियासत काल में राजनांदगांव एक राज्य के रूप में विकसित था। पूर्व में यह नंदग्राम के नाम से जाना जाता था। 1 जुलाई 1998 को इस जिले के कुछ हिस्सों को अलग कर एक नया जिला कवीरधाम की स्थापना हुई।

सीमा एवं विस्तार :– जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में स्थित है। जिला मुख्यालय राजनांदगांव दक्षिण पूर्व रेलवे मार्ग में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 06 राजनांदगांव नगर से होकर

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College

E- ISSN 2582-5429
AMRJ
Akshara Multidisciplinary Research Journal
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
February 2022 Special Issue 04 Volume V (A) SJIF Impact- 5.54

07

Political Participation of Scheduled Caste in Mungeli District

Nitesh Kumar Sahu,
Research scholar,
Department of Political Science,
Seth R.C.S. College of Arts and Commerce,
Durg (Chhattisgarh)

Dr. Pramod Yadav
Research Supervisor
Head of Department of Political Science
Seth R.C.S. College of Arts and Commerce,
Durg (Chhattisgarh)

Abstract

The word Scheduled Caste is made up of two words scheduled and caste, where Scheduled means lists and cast means a population born in the same family lineage, thus Scheduled Castes means a group of castes included in a list. There is still a marginalized section of the society which is leading a life of deprivation for centuries. Dr. Bhimrao Ambedkar believes that political power master key, by which all types of locks can be opened according to the 2011 census. In Chhattisgarh state, the total population of scheduled castes is 32, 74,269, which is 12.82 % of the state's population. Mungeli is a Scheduled Caste majority district, in which the total population of Scheduled Castes is 27.76 percent in proportion to the Scheduled Castes of the state. Due to the majority population of the district, it is imperative for the Scheduled Castes to be politically strong.

Key Words: - Scheduled Caste, Political Participation, Reservation, Indian Constitution, Representation

Introduction

The term Scheduled Castes was first used by the Simon Commission in 1927. Before this, the word Dalit was generally used for the Scheduled Castes during British rule. Our Father of the Nation Mahatma Gandhi called them *Harijan* (children of God). The feeling of untouchability towards the scheduled castes has been inhabited in Indian society since ancient times. Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, is rightly called the Messiah of the Scheduled Castes, through whose efforts the feeling of untouchability was considered a crime and it was mentioned in the Indian Constitution. At present, it is constitutional to have special provisions for Scheduled Castes in Parliament, State Legislatures, and Government Services.

Many efforts were made to develop the SC before the constitution, which gives us examples from the Communal Award to the Puna Pact. Due to the constitutional agreement after independence, the SC has awakened not only social but also politically. Since ancient times, the community is facing the brunt of social iris, struggling for its development, however, at the present time, the development education of the Scheduled Castes, Social harmony is being made possible by economic policies and governance. The SC has an important role in the politics of Chhattisgarh. According to the 2011 census, the total population of the Scheduled Castes in the Chhattisgarh State is 32.74,269 which is 12.82 percent of the population of the state. In which male Scheduled Castes Population 16,41,738 and female SC population is 16,32,531. The proportion of this population represents the politics of the twenty-sixth state. Where two seats are reserved in Lok Sabha and ten seats are reserved for SC. In which the total population of SC in the Mungeli district is 1,94,770, Which is 27.76 percent of the proportion of scheduled castes of Chhattisgarh state. Mungeli district has provided many leadership actors from the Scheduled Castes to the country and the state. In which Resham Laal jangde predominantly, Khelan Ram Jangde, Punnu Lal Mohle, etc. There are two assemblies in Mungeli district which are respectively Constitutional Assembly 26 (Lormi) which is the

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)
Scanned with CamScanner